भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

23.07.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 563 का उत्तर

जयपुर मंडल के स्टेशनों के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना

563. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जयपुर मंडल में रेलवे स्टेशनों की संख्या और उनकी वर्गीकृत श्रेणियां क्या हैं;

(ख) "अमृत भारत स्टेशन योजना" के अंतर्गत जयपुर मंडल के संबंधित रेलवे स्टेशनों के नाम और किए जा रहे निर्माण/विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक कार्य की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार दौसा और बांदीकुई रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है और इनके कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): जयपुर मंडल में रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ उनकी वर्गीकृत कोटियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	स्टेशन की कोटि	स्टेशनों की संख्या
1	अनुपनगरीय ग्रेड (एनएसजी)-1	1
2	एनएसजी-2	कुछ नहीं
3	एनएसजी-3	8

4	एनएसजी-4	2
5	एनएसजी-5	22
6	एनएसजी-6	65
7	हाल्ट ग्रेड (एचजी) -1	कुछ नहीं
8	एचजी -2	10
9	एचजी -3	20
कुल		128

अभी तक, जयपुर मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने के लिए 18 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। जयपुर मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने के लिए चिह्नित स्टेशनों के नाम अलवर, आसलपुर जोबनेर, बांदीकुई, दौसा, फतेहपुर शेखावटी, गांधीनगर जयपुर, जयपुर, झुंझुनू, खैरथल, नारायणा, नारनौल, नीम का थाना, फुलेरा, राजगढ़, रेवाड़ी, रिंगस, सागानेर, सीकर हैं।

बांदीकुई स्टेशन पर नए स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, परिचलन क्षेत्र का सुधार और शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा पैदल पार पुल, प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफार्म सतह में सुधार, लिफ्टों का प्रावधान आदि का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। .

दौसा स्टेशन पर स्टेशन भवन का सुधार, प्रतीक्षालय, परिचलन क्षेत्र, शौचालयों और प्लेटफार्म शेल्टर के प्रावधान का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा नए पैदल पार पुल का निर्माण, और लिफ्टों के प्रावधान के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

भारतीय रेल पर रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण निरंतर चलने वाली सतत् प्रक्रिया है तथा इस संबंध में कार्य परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकतानुसार किए जाते हैं। कार्यों को स्वीकृत और निष्पादित करते के समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जाती है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए अग्निशमन संबंधी मंजूरी, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना

(जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथ और उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

*****